

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 206 / 2007 / कोटा.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-द्वितीय, कोटा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स पार्थ इण्डस्ट्रीज, I.P.I.A. कोटा.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित :

श्री आर. के. अजमेरा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 25 / 06 / 2015

निर्णय

1. यह अपील सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, वृत्त-द्वितीय, कोटा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, कोटा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 71/आर.एस.टी./2002-2003 में पारित किये गये आदेश दिनांक 29.08.2006 के विरुद्ध राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 85 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि दिनांक 2000-2001 के लिये अधिनियम की धारा 30 के तहत पारित किये गये कर निर्धारण आदेश दिनांक 04.05.2002 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी फर्म का सर्वेक्षण दिनांक 07.05.2001 को किया जाने पर पाया गया कि प्रत्यर्थी द्वारा मिनरल वाटर को एक लीटर, दो लीटर व 20 लीटर के जार में विक्रय किया जाता है। एक लीटर व दो लीटर को सील्ड बॉटल में नियमानुसार कर वसूल करते हुए विक्रय किया जाता है, जबकि 20 लीटर पानी को कन्टेनर में करमुक्त विक्रय किया जाता है। भौतिक सर्वेक्षण में पाया गया कि 20 लीटर के कन्टेनर को इस तरह से पैक किया जाता है कि ढक्कन तोड़ने के पश्चात ही पानी कन्टेनर से बाहर निकाला जा सकता है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा इसे सील्ड कन्टेनर मानते हुए कर योग्य माना गया। आलौच्य अवधि में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा रूपये 10,70,883/- का पानी 20 लीटर के कन्टेनर में विक्रय किया गया, जिसे लेखा-पुस्तकों में Water arrangement charges Loading/

लगातार.....2

Unloading transportation in Kota City के रूप में दर्शाते हुए लेबर चार्जेज के बिल जारी किये गये हैं, जिस पर कोई कर उद्ग्रहित नहीं किया गया है। कर निर्धारण अधिकारी ने उक्त विक्रय में से 90 प्रतिशत राशि अर्थात् रूपये 9,63,795/- को सील्ड वाटर की बिक्री मानते हुए कर व अधिभार रूपये 1,33,004/- एवं कर योग्य माल को करमुक्त विक्रय किये जाने के आधार पर करापवंचन किया जाना मानते हुए धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 2,66,008/- का आरोपण किया गया।

3. इसी प्रकार प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में रूपये 1,20,300/- की क्रय वापसी बताई गई, जबकि आलौच्य अवधि की लेखा-पुस्तकों में अन्तिम स्टॉक शून्य दर्शाया गया था। इस प्रकार उक्त राशि की उचन्ति बिक्री किया जाना मानते हुए कर व अधिभार रूपये 16,601/- एवं धारा 65 के तहत शास्ति रूपये 33,203/- का आरोपण किया गया।

4. उपरोक्तानुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2000–2001 का कर निर्धारण आदेश अन्तर्गत अधिनियम की धारा 30 दिनांक 04.05.2002 को पारित करते हुए कुल रूपये 4,48,816 का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश को अपीलीय अधिकारी के समक्ष चुनौती दिये जाने पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2006 से प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गयी है।

5. बहस के दौरान अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर भौतिक रूप से यह पाया गया था कि 20 लीटर के कन्टेनर को जिस तरह से पैक किया जाता है, उसमें ढक्कन को तोड़ने के पश्चात ही पानी निकाला जा सकता है। अतः यह स्पष्ट रूप से सील्ड वाटर की श्रेणी में आता है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(25)एफडी / ग्रुप-IV / 92-पार्ट-II-21 दिनांक 28.09.1995 सपठित अधिसूचना क्रमांक एफ.4(1)एफडी / टैक्स-डिवी. / 2000-282 दिनांक 30.3.2000 का हवाला देते हुए कथन किया कि उक्त अधिसूचनाओं में पानी को करमुक्त घोषित किया गया है, किन्तु बॉटल एवं कन्टेनर में विक्रय किये जाने वाले सील्ड वाटर को कर योग्य माना गया है। इसी प्रकार प्रत्यर्थी द्वारा आलौच्य अवधि का अन्तिम स्टॉक शून्य दर्शाया गया है, जबकि रूपये 1,20,300/- की क्रय वापसी बताई गई है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से रूपये 1,20,300/- की उचन्ति बिक्री किया जाना प्रमाणित होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा

५८

2

लगातार.....3

उक्त अधिसूचनाओं एवं प्रकरण के तथ्यों के अनुसरण में कर व शास्ति का आरोपण किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी थी, जबकि अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों की अनदेखी करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया कि कैम्पर का उपयोग सिर्फ पानी को सुरक्षित क्रेता तक पहुंचाने के लिये किया जाता है, ना कि पानी के साथ ही विक्रय कर दिया जाता है। राज्य सरकार की अधिसूचनाओं के अनुसार वह पानी कर योग्य है, जो कन्टेनर सहित विक्रय किया जाता है। प्रत्यर्थी द्वारा कन्टेनर के विक्रय का व्यवसाय नहीं किया जाता है, बल्कि पानी को शुद्ध एवं शीतल करके विक्रय किया जाता है। कन्टेनर का उपयोग पानी के सुगम एवं सुरक्षित परिवहन हेतु किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा 20 लीटर के कैम्पर में विक्रय किया गया पानी पूर्णतः करमुक्त है एवं प्रत्यर्थी द्वारा करमुक्त ही विक्रय किया गया है। विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त 16 टैक्स अपडेट 156 (एस.सी.) मैसर्स बालकृष्ण हैचरीज बनाम क्लेरिफिकेशन एण्ड एडवांस रॉलिंग ऑथोरिटी; (2011) 40 पी.एच.टी. 28 (एस.सी.) यूनिफलेक्स केबल्स लिमिटेड बनाम आयुक्त सेन्ट्रल एक्साईज, सूरत एवं अतिरिक्त आयुक्त (आई.टी.) वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान जयपुर के प्रकरण संख्या पी. 5(सी)202/टैक्स रेट/एसीसीटी/वेट एण्ड आई.टी./10 मैसर्स ममता कोल्ड इण्डस्ट्रीज जयपुर के प्रकरण में पारित आदेश दिनांक 25.10.2010 को उद्धरित करते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों का सम्मान अध्ययन किया।

8. हस्तगत प्रकरण में विवादित बिन्दु यह है कि 20 लीटर के कन्टेनर/रिफिल जार में बेचे जाने वाले फिल्टर वाटर/ड्रिंकिंग वाटर पर करदेयता क्या होगी ?

9. इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(25)एफडी/ ग्रुप-IV/92-पार्ट-II-21 दिनांक 28.09.1995 की प्रविष्टि संख्या 11 निम्न प्रकार है :—

लगातार 4

S.NO. 1027 : F.4(25)FDGr.IV/92-Pt.II-21 dated 28.9.1995

S.O. .- In exercise of the powers conferred by S.15, RST Act, 1994, the State Govt. being of the opinion that it is expedient in the public interest to do so hereby exempts from tax under the said Act, the sale or purchase of the following goods on the conditions and exceptions as mentioned against them, namely:-

11. Water excluding distilled, mineral or aerated waters.

10. इसी प्रकार राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(1)एफडी/टैक्स-डिवी./2000-282 दिनांक 30.3.2000 के द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.9.1995 की प्रविष्टि संख्या 11 में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है :—

S.NO. 1158 : F.4(1)FD/Tax Div./2000-282 dated 30.3.2000

S.O.358.- In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Rajasthan Sales Tax Act, 1994 (Rajasthan Act No. 22 of 1995) the State Government being of the opinion, that it is expedient in the public interest to do so, hereby makes the following amendments, in this Department's notification No. F.4(25)FDGr.IV/92-Pt.II-21 (S.No.791) dated 28.09.1995, namely:-

AMENDMENT

In the said notification-

For the existing entry "Water excluding distilled, mineral or aerated waters." at Item No., 11, the following shall be substituted, namely-

"11. Water excluding (a) water sold in sealed bottles or containers: (b) distilled water, (c) mineral water: and (d) aerated waters."

11. माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त मैसर्स बालकृष्ण हैचरीज में निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :—

"Karnataka Sales Tax Act, 1957 - Section 5(3)(a), Entry 22 of the Fifth Schedule of the Karnataka Sales Tax Act, 1957 and Entry 8(viii) of Part-F of Second Schedule - "Whether dressed chicken when sold in a polythene bag which is closed by a staple or closed by crimping and twisting an aluminium wire around the crimp can be considered to be a sale in the sealed container? If it is sale in a sealed container, it is not exempt from Sales Tax but if it is not, it is exempt. "While allowing the appeal, the Supreme Court held that :- "In our opinion in cases of both stapling and crimping the staple and pins can be removed by the customer without breaking anything. It is thus held that the chicken in question is not sold in sealed container."

लगातार.....5

12. उपरोक्त अधिसूचनाओं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त वर्णित निर्णय में दी गई व्यवस्था के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा बेचा गया पानी का कन्टेनर सील्ड कन्टेनर नहीं है। पानी को कन्टेनर सहित नहीं बेचा जाता है। अतः प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा 20 लीटर कन्टेनर में बिक्रीत पानी करयोग्य माल की श्रेणी में नहीं में नहीं आने के कारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा करयोग्य मानते हुए करारोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा इसे करमुक्त अवधारित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है।
13. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

14. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
(मनोहर पुरी) २५/७/१५
सदस्य

(सुनील शर्मा)
सदस्य